

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## बुलेटिन-भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों सम्बन्धी सामान्य सूचना)

वीरवार, 2 अगस्त, 2018/11 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या : 71

### अध्यक्ष, मुख्य मन्त्री एवं मन्त्रियों के कक्ष हेतु प्रवेश-पत्र

1. विधान सभा सत्र के दौरान अध्यक्ष के कक्ष हेतु प्रवेश-पत्र निम्न प्रकार से विनियमित होंगे :-

- (1) पूर्व सांसद, पूर्व विधायक एवं स्वतन्त्रता सेनानियों का केवल गेट नं0 1 पर स्वागत होगा ताकि उन्हें असुविधा महसूस न हो; और
- (2) यदि अध्यक्ष की अनुमति हो तो उन्हें मिलने वाले आगन्तुकों को प्रवेश पत्र केवल 2.00 बजे अपराह्न के बाद जारी किये जा सकेंगे जब अध्यक्ष ने बुलाया हो । कोई आगन्तुक मुख्य भवन के अन्दर थैला आदि नहीं ले जा सकता ।

2. जब विधान सभा सत्र में हो, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रियों को मिलने के इच्छुक आगन्तुकों का प्रवेश निम्न प्रकार से विनियमित होगा :-

- (1) जब तक विधान सभा की बैठक चल रही हो, तब तक सामान्यतः दिन के लिए कोई प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा;
- (2) तथापि, विशेष परिस्थितियों में, जब मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्री आगन्तुकों से मिलना चाहें तो सोमवार से शुक्रवार तक सायं 3.00 बजे से 5.00 बजे तक मन्त्री (मन्त्रियों) द्वारा निर्धारित समय के अनुसार प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे। इस प्रकार के प्रवेश पत्र विधान सभा सचिवालय द्वारा तभी जारी किए जाएंगे जब कि मुख्य मन्त्री या सम्बद्ध मन्त्री (मन्त्रियों) के निजी सचिव आगन्तुकों के नाम, उनका विवरण तथा मिलने का निर्धारित समय लिखित रूप में देंगे;
- (3) मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों को मिलने के इच्छुक आगन्तुकों को केवल गेट नम्बर-3 से प्रवेश मिलेगा । यह केवल उन मन्त्रियों की स्थिति में लागू होगा जिनके चैम्बर मुख्य भवन की धरातल मंजिल में हैं। प्रशासनिक भवन के चैम्बरज में बैठने वाले मन्त्रियों को मिलने के इच्छुक आगन्तुकों का प्रवेश गेट नम्बर-6 से होगा, परन्तु वे विठ्ठल भाई भवन में तथा प्रशासनिक भवन के गेट से आगे प्रवेश नहीं करेंगे;
- (4) मुख्य मन्त्री से मिलने के बाद आगन्तुक केवल गेट नम्बर-2 से बहिर्गमन करेंगे किन्तु गेट नम्बर-2 से कोई भी आगन्तुक प्रवेश नहीं करेगा । इसी प्रकार से मुख्य

भवन की धरातल मंजिल में बैठने वाले मन्त्रियों को मिलने के इच्छुक आगन्तुक, उन्हें मिलने के बाद मन्त्री कक्ष के पीछे की ओर निजी सचिवों के कक्ष से बहिर्गमन करेंगे;

- (5) पुस्तकालय कम्पलैक्स या सदस्यों के लाउन्जिज की ओर किसी भी आगन्तुक को नहीं जाने दिया जाएगा;
- (6) बिना प्रवेश पत्र प्राप्त किए सदस्य अपने साथ किसी आगन्तुक को मुख्य मन्त्री या मन्त्रियों के कक्ष में न ले जायें;
- (7) परिसीमाओं के अन्दर अवांछित और अनधिकृत भूड रोकने के लिए लाउन्जों, बरामदों तथा दीर्घाओं में आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा और जो बिना प्रवेश-पत्र के पाए जाएंगे उन्हें परिसर छोड़ने हेतु कहा जाएगा; और
- (8) ज्यों ही आगन्तुक चैम्बर से निकलेगा, मुख्य मन्त्री और सम्बद्ध मन्त्री (मन्त्रियों) के निजी स्टाफ के सदस्य उनसे प्रवेश-पत्र जमा कर लेंगे।

यशपाल शर्मा,  
सचिव,  
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

**HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA**

**BULLETIN—PART-II**

**(General Information relating to Parliamentary  
and Other Matters)**

*Thursday, 2<sup>nd</sup> August, 2018/11<sup>th</sup> Sharavna, 1940 (Saka)*

**No. 71**

**ENTRY PASSES FOR ENTRY TO SPEAKER'S, CHIEF MINISTER'S AND MINISTERS'  
CHAMBERS**

1. Entry passes to see the Speaker, in his Chamber during Assembly Session will be regulated as under :—

- (i) Ex-M.Ps., Ex-M.L.As. and Freedom Fighters may be allowed to be entertained at Gate No. 1 only so that they do not feel inconvenience.
- (ii) If the Speaker permits, the visitors intending to see him may be allowed entry passes after 2.00 P.M. only and that too as and when sent for the Speaker.

No visitor is allowed to carry hand baggage etc. within the main building.

2. To regulate entry of visitors intending to see the Chief Minister and Ministers while the Assembly is in session, the following measures would be adhered to:—

- (i) Normally no pass should be issued for the day till the Assembly is in session;
- (ii) However, in exceptional cases, where the Chief Minister and other Ministers may like to meet the visitors, the passes may be issued from Monday to Friday from 3.00 P.M. to 5.00 P.M. at a time fixed by the Minister. Such passes would be issued by the Vidhan Sabha Secretariat only when the Private Secretary to the Chief Minister, or the concerned Minister(s) convey in writing the names and particulars of the visitors to be allowed to see them at a particular time;
- (iii) Entry to all visitors intending to see the Chief Minister and the Ministers may be allowed through Gate No. III only. This will apply in case of those Ministers who sit in the Ground Floor Chambers. The visitors intending to see the Ministers who sit in the Chambers of Administrative Bhawan may be allowed entry through Gate No. VI but they will not be allowed to enter the Vithalbhai Bhawan and beyond the Gate of Administrative Bhawan;
- (iv) The visitors, after meeting the Chief Minister will exit through Gate No. 2 only, but no entry shall be made through Gate No. 2. Similarly, visitors intending to see the Ministers (those who sit in the Ground Floor) and having met them, will exit through the rooms of the Private Secretaries *i.e.* from the back-side of the Ministers' Chambers;
- (v) No visitor should be allowed to go to the Library Complex or the Lounges of the Members';
- (vi) Members may not take alongwith them visitors to the Chief Minister's or the Ministers' Chambers without getting entry passes;

(vii) To avoid unwanted and un-authorised crowd within the premises, random checking would be made in the lounges, corridors and the galleries and those found without passes may be asked to leave the premises; and

(viii) Entry passes shall be collected by the personal staff of the Chief Minister, Minister(s) concerned as soon as the visitor leaves the Chamber.

**Yash Paul Sharma,**  
*Secretary,*  
**H.P. Vidhan Sabha.**